


FORM NO. III

फर्द अहकाम
(नियम 26)

अज अदालत-उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर, नावां जिला डीडवाना-कुचामन राजस्थान
कैलाश कंवर पत्नि बजरंग सिंह जाति राजपूत बनाम राज. सरकार जरिये प्रतिनिधि तहसीलदार
सा. उलाणा तह. नावां सा. नावां तह. नावां

किस्म कुमदमां : 136 आर.एल.आर. एक्ट

मुकदमा नम्बर 068/2024

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तारीख में जारी हुआ
09.02.2024	<p>प्रार्थीया की ओर से अधिवक्ता श्री धर्मेन्द्र सिंह ने यह प्रार्थना पत्र पेश किया है जो कि दर्ज रजिस्टर किया जाता है। अप्रार्थी को जरिये नोटिस तलब होकर पत्रावली दिनांक 28.02.2024 को पेश हो।</p> <p style="text-align: right;">  (विश्वामित्र मीना) उपखण्ड अधिकारी, नावां </p> <p> 28/2/24 पत्रावली पेश हुई बार एसोशियेशन ने कन्डोलेंस कर कार्य स्थगन का निवेदन किया। पत्रावली इल्लवा होकर दिनांक 6/3/24 को पेश हो। </p> <p> 6/3/24 उपपत्र उपर तहसीलदार नावां की प्रकष की जाय रिपोर्ट पेश कने हेतु रिपोर्ट ही मर्त पत्रावली वार्ते रिपोर्ट राष्ट्रीय लोक अदालत में दि 9/3/24 को पेश हो </p> <p> 9/3/24 पत्रावली राष्ट्रीय लोक अदालत में हुई। तहसीलदार नावां ने रिपोर्ट पेश की। उपपत्र को सुना गया। निर्णय पृष्ठाक से लिखाया जाकर सौ अज्ञात सुनाया गया। पत्रावली फीतल शुमात होकर नम्बर से कम हो व दायित्व दणत हो </p> <p style="text-align: right;"> उपखण्ड अधिकारी नावां (डीडवाना-कुचामन) </p>	

